न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 05 / 2024

अनवान :–

1. निराणाराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी बिरकली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. किरसरन पुत्र मामराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. मीरादेवी पत्नी मामराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नेाहर।
4. मोहनलाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. शांति पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. तुलछा पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. राजबाला पत्नी शेरसिह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. समुन्द्र सिह पुत्र शेरसिह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजबाला पत्नी शेरसिह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री शेरसिह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजबाला पत्नी शेरसिह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मांगेराम गोदारा अविक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक, गैरसायल
निर्णय दिनांक : 11/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 224 / 12 की कुल 3.5490हैक्ट भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8 / 7 की कुल 0.3000हैक्ट भूमि सायल एव गेरसायल संख्या 1 ता 4 एव मृतक अमीलाल पुत्र जुहाराराम की मुश्तरका खाता की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी में दर्ज अमीलाल पुत्र जुहाराराम फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान गेरसायल संख्या 9 ता 11 है जिसको प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

सायल अपनी भूमि रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 224 / 12 की कुल 3.5490हैक्ट में आवागमन करने के लिये सायल अपने गांव बिरकाली से चलकर मंजूरशुद्वा रास्ता से होते हुए सायल एव गैरसायल की भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8 / 7 के प0न0 155 / 8(117) के किला न0 21 / 2 ,22 / 2 ,23 / 2 ,24 / 2 , 25 / 2 प्रत्येक की 0.0250हैक्ट [illegible] प0न0 135 / 64 (118) के किला न 25 / 2 की 0.0250हैक्ट भूमि [illegible] मोजा बिरकाली बारानी के प0न0 135 / 64(118) के किला न0 25/1 [illegible] प्रवेश कर जाते है इस रास्ता से सायल हमेशा से आवागमन करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक्ट भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल ने रास्ता के लिये छोडी हुई भूमि है जो हमेशा से रास्ता के काम में आ रही है जिसमें सायल का भी हिस्सा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गेर मुमकिन दर्ज नही होने से गैरसायलान बन्द करने की घमकी देते है।

सायल को अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त रास्ता ही सायल की भूमि में जाने के लिये नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है इसी रास्ता से वर्षो से आवागमन होता आ रहा है किन्तु अब गेरसायलान बन्द करने की घमकी दे रहे है इसलिये सायल रास्ता के लिये छोडी भूमि को रास्ता के रूप में स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल एव गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक्ट भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 3 , 5 ता 11 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई गेरसायल संख्या 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की दिनांक 20.10.2024 को वीर तेजाजी ईन्ट उधोग बिरकाली पर पंचायत गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष फैसला हुवा कि जुहाराराम के नाम 12 बिस्वा भूमि शामिल खाते की भूमि है जे सहमति से फैसला हुवा कि 12 बिश्वा जमीन रास्त के पेटे रखी गई है उसकी ऐवज में 1 बीधा जमीन शामिल खाते में जुहाराराम के नाम से है उस किमत 4,00, 000/– रूपये किमत तय की गई थी उस पुरे बीधा की खातेदारी मनीराम आदि उनके नाम करवायेगे दुसरे एवज में मनीराम आदि कुल किमत का 1/2 हिस्सा 2, 00 ,000/– रूपये देने होगे दुसरे खेत में निराणाराम 1 बीधा भूमि में प्रवेश हेतु रास्ता देगा यह राजीनामा हुआ था जो मौजिज व्यक्तियों के मध्य हुआ था।

सायल के पिता जुहाराराम के नाम की 12 बीधा भूमि जमीन में रास्ता देने तेय हुआ था राजीनामा में सायल के पुत्र पवन व रोहताश के हस्ताक्षर है उक्त भूमि सायल के पिता के खाते में रास्ता हेत रखी गई है सायल के खेत में सायल को रास्ता हेतु भूमि देनी तेय की थी सायल के खेत में सायल को रास्ता हेतु भूमि देनी तय की थी सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल व गेरसायलान ने आपसी सहमति से के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक्ट भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक्ट में रास्ते के लिये भूमि छोडी गई थी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल व गेरसायल के नाम से दर्ज है जो रास्ते के रूप में उपयोग ली जा रही है उक्त भूमि रास्ते के लिये ही छोडी गई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिये उक्त भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक भूमि में व रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 135/64 (118) के किला न0 25/1 में से कोई रास्ता नही है जबकि जुहाराराम पुत्र हरीराम के नाम प0न0 135/64(118) के किला न0 24 की 1.00 बीघा भूमि के बदले निराणाराम व अमीलाल के लडके रामकुमार व शेरसिह उर्फ कालूराम फोत अब उनके वारिसान व समुन्द्र सिह ने देनी तेय की थी बदले में 2,00,000/– रूपये देने तैय हुए तथा 1 बीधा में 1/2 बीधा भूमि का बैयनामा करवाने की बात हु थी थे उपरोक्त समस्त तथ्य बाहमी राजीनामा में दर्ज है जिससे सायल पाबन्द है खाता विभाजन के समय ही रास्ता मंजूर किया जा सकता था यदि रास्ता छोडा होता तो सायल ने मिथ्या कथन किया गया है सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 224/12 की कुल 3.5490हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 की कुल 0.3000हैक भूमि सायल एव गेरसायल संख्या 1 ता 4 एव मृतक अमीलाल पुत्र जुहाराराम की मुश्तरका खाता की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है मृतक के वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है

सायल का कथन है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक भूमि को सहमति से रास्ता के लिये छोडी गई थी जिससे सायल आवागमन करता है

गैरसायल संख्या 4 का विरोध है सायल ने राजीनामा के अनुसार कार्यवाही नही की गई है तथा उक्त भूमि रास्ते के रूप में नही छोडी हुई है बल्की खातेदारी भूमि है जिसमें सायल का भी हिस्सा है राजीनामा के अनुसार कार्यवाही नही करने के सायल रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

गैरसायल का कथन स्वीकार योग्य नही है प्रश्नगत रास्ता के सम्बध में किसी प्रकार का राजीनामा हुआ था या नही या राजीनामा के अनुसार कोई पक्षकार पाबन्द है या नही के सम्बध में न्यायालय को विवेचन नही किया जाना है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है सायल का उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है या नही और सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त है या नही ।

सायल का कथन है कि वह रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 के प0न0 155/8 (117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है इसके अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध नही है प्रथम दृष्टया सायल का कथन स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल अपनी सहखातेदारी भूमि के प0न0 के प0न0 155[illegible] के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक [illegible] 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक से होकर अपनी [illegible] भूमि में प्रवेश करता है प्रार्थी के खेत के पास से गुजरने वाला गै0मु0रास्ता से इन्ही [illegible]बे से होकर सायल आवागमन करता आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रहा है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये नही है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मोजा बिरकाली बारानी के मु0न0 117 में कटानी /मंजूरशुद्वा रास्ता है जो वर्तमान में आम काश्तकार के द्वारा उपयोग लिया जा रहा है इस मंजुरशुद्वा रास्ता से सायल के खेत के मध्य सायल एव गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक है जिसमें रास्ता स्वीकृत करने से सायल कटानी/मंजुरशुद्वा रास्ता से जुड जाता है और आसानी से अपनी भूमि में आवागमन कर सकता है अर्थात सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त रास्ता है।

प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि नजरीय नक्शा में हरे रंग से दर्शीत भूमि सायल एव गैरसायल संख्या 1 ता 5 की सयुक्त भूमि है जो एक रास्तेनुमा है ऐसा प्रतीत होता है की उक्त भूमि को केवल रास्ते उपयोग के लिये ही छोडा गया हो नजरीय नक्शा के अवलोकन से सायल का कथन सही प्रतीती होता है कि उक्त भूमि सहमति से रास्ते के लिये छोडी गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल का उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल मंजुरशुद्वा रास्ता से के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है जो नजरीय नक्शा के अनुसार रास्ते के लिये ही छोडी जानी प्रतीत होती है जिसे स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 के के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0.0250हैक भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2025 / 720 दिनांक 11/06/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 05 सन 2024 निर्णय दिनांक 11/06/25

अनवान :–

1. निराणाराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी बिरकली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1 किरसरन पुत्र मामराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. मीरादेवी पत्नी मामराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नेाहर।
4. मोहनलाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. शांति पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. तुलछा पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. राजबाला पत्नी शेरसिह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. समुन्द्र सिह पुत्र शेरसिह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजबाला पत्नी शेरसिह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री शेरसिह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजबाला पत्नी शेरसिह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2022 अनवानी कुलदीप बनाम दलीप में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 8/7 के के प0न0 155/8(117) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 , 25/2 प्रत्येक की 0. 0250हैक भूमि व प0न0 135/64 (118) के किला न 25/2 की 0.0250हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:18 IST
Reason: SelfAttested